UPKU010043542026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थित: **सत्यपाल सिंह प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP01829**
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1326/2026

मो० मेराज बउम्र 35 वर्ष पुत्र इद्रीश,
साकिन–मननपुर, थाना–रूनिसैदपुर, सीतामढ़ी, जनपद–सीतामढ़ी (बिहार),
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विरूद्ध पक्ष

मु०अ०सं०–127/2026
धारा–3/5A/8 गोवध निवारण अधि०
व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
एवं 325 B.N.S.,
थाना–तमकुहीराज,
जनपद–कुशीनगर।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **मो० मेराज** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनाक 27.05.2026 को वादी मुकदमा/उ०नि० महेश मिश्रा मय हमराह के मय प्राईवेट वाहन चार पहिया के थाना हाजा से प्रस्थान कर देख भाल क्षेत्र चेकिंग, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु में मामूर होकर तमकुहीराज कस्बे में मामूर था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि साहब एक व्यक्ति बिहार राज्य से ई–वाहन (इलेक्ट्रीक रिक्सा) सं० UP 57 CT 0639 पर प्लास्टिक के बोरी में प्रतिबन्धित गौमांस बेचने के लिए लेकर छावनी पडरौना के लिए जा रहा है अभी वह तमकुहीराज ब्रिज हाईवे से आगे बढ़ रहा है। यदि शीघ्रता करें तो अभियुक्त की गिरफ्तारी व गोमांश की बरामदगी हो सकती है इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण को मुखबिरी समस्त कर्मचारीगणों को बता कर मय प्राईवेट वाहन चार पहिया व मुखबिर को साथ लेकर हाईवे कुशीनगर गोरखपुर लेन के तरफ उक्त वाहन (इलेक्ट्रीक रिक्सा) सं० UP 57 CT 0639 को देखते हुए जा रहे थे कि झरही नाला के पहले हाईवे पर उक्त वाहन (इलेक्ट्रीक रिक्सा) सं० UP 57 CT 0639 दिखाई दिया जिसको मुखबिर खास देखकर बताया कि साहब यही वह वाहन है जिसमें प्रतिबधित गोमांस है जिसको

बेचने के लिए जा रहा है। मुखबिर बता कर हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले अपने निजी वाहन का तेज रफ्तार कर उक्त वाहन को ओवर टेक कर आगे बढ़कर उक्त वाहन को रोकने का इशारा किया तो उक्त वाहन के चालक पीछे मोड़ कर भागने चहा है कि हम पुलिस वाले सीखे सिखाये तरीके से घेर घार कर वाहन के चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति जिनका बाजाफ्ता बाकायदा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो अपना नाम मो० मेराज वताया जिसके जामा तलाशी पहने हुए कुर्ता के दाहिने जेब से 02 अदद मोवाइल तथा बांये जेब से 01 अदद आधार कार्ड आधार नं० 97018487 5216 धारक का नाम मो० मेराज व 04 अदद ATM कार्ड व 01 अदद पैन कार्ड तथा जेब से कुल 230/–रू0 मिला। वाहन की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक की बोरी में मांस बरामद हुआ मांस के विषय में पूछने पर बताया कि साहब यह गोमांस है जिसे मैने लकड़ी दरगाह जिला सीवान बिहार से खरीदकर छावनी पडरौना बेचने जा रहा था कि आप लोग पकड लिया। साहब गलती हो गयी माफ कर दिजिए। पकडे गये व्यक्ति द्वारा गाय के मांस का होना स्वयं बताया गया व मात्रा 40 किलो ग्राम बताया गया जिसके नमूना को संकलित व संरक्षित करने के लिए पशु चिकित्सालय के डाक्टर को उचित माध्यम सूचना भेजवायी गयी। तत्पश्चात अभियुक्त से गोमांस रखने/बेचने/ परिवहन करने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा व अपनी गलती की माफी मांगने लगा।

3– आवेदक/अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुये कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रार्थी गरीब आदमी है, बकरे का मीट बेचता है। गोमांस खाना अपराध नहीं है। उसके कब्जे से गोमांस 40 किग्रा० बरामद नहीं हुआ है। Case Property Recovery and Search की प्रक्रिया को BNSS की धारा 103 की उपधारा 45, 6 व 7 का अनुपालन पुलिस ने नहीं किया है जो कि एक आज्ञापक उपबन्ध है, इससे घटना की झूठाई साबित होता है। धारा 5A लागू व प्रभावी नहीं होतो है। प्रार्थी दिनांक 27.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा गोमांस का परिवहन कर रहा था। उसके ई–रिक्सा से 40 Kg गोमांस बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– केस डायरी व फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि अभियुक्त के पास से 40 किग्रा मांस की बरामदगी हुई है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि केस डायरी में ऐसा कोई भी साक्ष्य दौरान विवेचना I.O. के द्वारा संकलित नहीं किया गया कि जो प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करे कि बरामद मांस गाय का है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त बकरे का मांस बेचने का काम करता है एवं बरामद मांस बकरे का है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मांस के संबंध में कि वह किस पशु का है, कोई साक्ष्य केस डायरी पर मौजूद नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमाण के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि बरामद मांस किस पशु का है। केस डायरी पर इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है जो प्रथम दृष्टया इस तथ्य को परिलक्षित करे कि बरामद मांस गोवंशीय है। विवेचक के द्वारा किंस आधार पर बरामद मास

को गोवंशीय समझा गया इसका कोई स्पष्ट कारण, वैज्ञानिक सबूत उसके द्वारा संकलित नहीं किया गया है। केवल मुखबिर के सूचना के आधार पर बिना जाँच कराये तथाकथित बरामद मांस को गोवंशीय मान लिया गया, जबकि बरामद मांस भैस, बकरे आदि किसी पशु का हो सकता है। इस संबंध में F.S.L. आख्या के निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 27.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/प्रार्थी **मो० मेराज** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/प्रार्थी उपरोक्त द्वारा मु०–50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय :–

1– अभियुक्त अभियोजन के गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही अपने पक्ष में गवाही देने के लिए उत्प्रेरित या धमकी देगा।

2– अभियुक्त आरोप विरचन एवं धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त पुनः ऐसा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

दिनांकः 10.06.2026

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.10 17:15:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court